वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–02

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

आनलाईन पंजीयन क्रमांक : FP/CG/TRANS/22922/2016

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	132 के.व्ही. कोंडागांव से नारायणपुर पारेषण लाईन निर्माण निर्माण हेतु दक्षिण कोंडागांव वनमंडल अंतर्गत सरंक्षित वन कक्ष क्रमांक पी–799, पी–807, पी–808, पी–809, पी–838 के 5.620 हेक्टेयर एवं राजस्व वन भूमि खसरा नम्बर 331/11, 201/1 क, 338/2, 345/1, 92, 99/1, 51/1, 24/1, 19/68, 26/1, 54/16, 54/21, 85/18, 22/1, 2/15, 230/2, 57/8, 57/9, Z 2, 32, 1, 89/3 क, 0 99 के 22.007 हेक्टेयर कुल प्रस्तावित रकबा 27.627 हेक्टेयर।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	कोंडागांव
(iii)	वन प्रभाग	दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र (हे.)	37.874 हेक्टेयर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	दक्षिण कोंडागांव वनमंडल अंतर्गत संरक्षित वन खण्ड उमरगांव 799P, बुनागांव 807P, गुलमा 808P, 809P, पाला 838P,
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.5 से 0.6
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर. एल.–2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एफ.–4 मी. भी संलग्न किये जाये।	संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू–क्षरण की संभावना नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित क्षेत्र वन सीमा में है।

(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अपेक्षित हो दें।	नहीं।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–01 कॉलम–02 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अपेक्षित हो, दें।	प्रस्तावित वन भूमि परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे है।	नहीं।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा :	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू–खंडों की संख्या प्रत्येक भू–खंड का आकार।	पयोजना में प्रभावित 27.627 हेक्टेयर वन भूमि के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने वन भूमि नारायणपुर वनमंडल अंतर्गत कक्ष क्रमांक पी–2319 में चयन किया गया है।
(ii)	(प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	–
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	–
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	–
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	

11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम–07 (xi, xii), 08 और 09 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	प्रस्तावित क्षेत्र 40.000 हेक्टेयर से कम होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाईल :	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	10270 वर्ग किलोमीटर
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4084.077 वर्ग किलोमीटर
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	प्रकरण – 17 रकबा – 297.228 हेक्टेयर
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक :	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	2296.984 हेक्टेयर
(ख)	वनेत्तर भूमि पर।	–
(v)	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :	
(क)	वन भूमि।	2177.348 हेक्टेयर
(ख)	वनेत्तर भूमि पर।	– – –
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	132 के.व्ही. कोंडागांव से नारायणपुर पारेषण लाईन निर्माण होने से नारायणपुर जिले में विद्युत आपूर्ति सुचारु से किया जा सकता है। इस परियोजना से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास होने से रोजगार पैदा होने की पूरी संभावना है। अतः प्रस्ताव स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

स्थान : कोंडागांव
दिनांक : 4/3/2017

(आर.सी.दुग्गा) R.C. DUGGA (I.F.S.)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
कोंडागांव